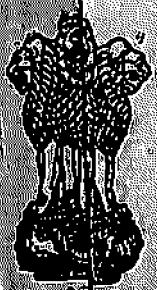

२

संख्या १

सत्यमेव जयते

बिार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

…वार, तिथि २८ जनवरी, १९५३ ।

ol. II.

No. 1

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report.

…nesday, the 28th January, 1953.

अधीक्षक, राजकी… …ालय, बिहार,

मूल्य—६ आ…]

Price—A… 6.]

बिहार विधान सभा वादवृत्त

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में वृहस्पतिवार, तिथि २९ जनवरी, १९५३ को पूर्वाह्न ११ बजे में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

Starred Questions and Answers.

LATE COMING OF THE S. D. O., BHAGALPUR, TO HIS IJLAS.

*3. Shri **RAGHUNANDAN PRASAD KUMAR** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that the S. D. O., Sadr Bhagalpur, does not come to his Ijlas in time ;

(*b*) whether it is a fact that he daily comes to his Ijlas after 3 P.M. and sits generally till 7 P.M. and thereby causes much harassment to the lawyers and litigant public ;

(*c*) whether it is a fact that the Bar Library of Bhagalpur has passed a resolution condemning this irregular habit of the S. D. O. ;

(*d*) if the answers to clauses (*a*), (*b*) and (*c*) be in the affirmative do Government propose to issue direction to the S. D. O. to come to his Ijlas in time ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(ए) इसका उत्तर ना है।

(बी) इसका भी उत्तर ना है।

(सी) बात इस प्रकार की है। जब मौजूदा एस० डी० ओ०, भागलपुर ने सबडिवीजन जोआएन किया तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव और डिपार्टमेंटल काम सुबह में किया करते थे और कोर्ट का काम दोपहर में करते थे। कभी-कभी इसका नतीजा यह होता था कि शाम तक काम करना पड़ता था। अगस्त, १९५२ में बार लाइब्रेरी ने प्रस्ताव पास किया जिसमें यह बतलाया गया था कि इस प्रथा से मुकदमा के लिये आये हुए लोगों को असुविधा होती है। उस प्रस्ताव में यह प्रार्थना की गयी थी कि कोर्ट आवर्स में मुकदमे का काम किया जाय। इसके बाद से एस० डी० ओ० ठीक समय पर कोर्ट का काम किया करते हैं।

(डी) यह सवाल नहीं उठता है।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में 'हो' नाच कराने के लिये सिंहभूम जिला के अधिकारियों द्वारा प्रबन्ध।

*५। श्री शुभनाथ देवगम—क्या मुख्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि सिंहभूम जिले के जिला अधिकारीगण गणतंत्र (रिपब्लिक) दिवस, १९५३ के अवसर पर, दिल्ली में 'हो' नाच-गान दिखाने के लिये नाचने वालों का एक दल तैयार कर रहे हैं ;

श्री घनराज शर्मा—अच्छा दूसरा प्रश्न।

अध्यक्ष—अब सवाल कैसे उठता है?

श्री घनराज शर्मा—अभी तो बरियार हेम्ब्रोम का सवाल चल ही रहा है। (हंसी)

अध्यक्ष—नहीं, अब श्री रामानन्द तिवारी पूरक पूछेंगे।

श्री रामानन्द तिवारी—क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि श्री पेशर हुसेन को क्या ५,००० रुपये की रकम मिली है? (हंसी)

अध्यक्ष—यह सवाल नहीं उठता।

श्री सिदुई हेम्ब्रोम—क्या सरकार को मालूम है कि लाल हेम्ब्रोम से बरियार हेम्ब्रोम ने बड़ी सैक्रीफाइस की और दोनों एक ही साथ थे जब कि बरियार हेम्ब्रोम को गोली लगी तो क्या वजह है कि लाल हेम्ब्रोम को ज्यादा दिया गया?

अध्यक्ष—वह तो कमिटी देखे गी।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—बरियार हेम्ब्रोम के बारे में मैंने कहा, "हिज केस विल बी रि-इक्जामिन्ड बाई दी रिव्यू बोर्ड।"

राजनीतिक-साहाय्य कोष से सहायता।

*१७। श्री हरिवंश नारायण सिंह—क्या मुख्य मंत्री, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) जिन राजनीतिक पीड़ितों के नाम प्रान्तीय राजनीतिक कमिटी ने सिफारिश की थी उनमें से कुछ लोगों को तुरन्त सहायता मिल गई और शेष लोगों को अब तक नहीं मिली, इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या अब तक जिन लोगों को कुछ नहीं मिल सका उसको कुछ मिलेगा या नहीं, यदि हां, तो कब तक?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—रिलीफ ग्रांट केवल उन्हीं केसेज में नहीं दिया गया है जिनमें या तो बिहार पोलिटिकल सफरर्स रिलीफ कमिटी या स्पेशल आफिसर ने ग्रांट की कोई सिफारिश नहीं की थी। रिव्यू बोर्ड इन सभी केसेज पर फिर से विचार करेगी। कई केसेज में बिहार पोलिटिकल सफरर्स रिलीफ कमिटी ने सिफारिश की थी, लेकिन स्पेशल आफिसर के सामने वे हाजिर नहीं हुए गर्चे उन्हें सूचना दी गयी थी। इन केसेज को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जांच और रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया है। इन केसेज में रिलीफ क्या दिया जायगा, यह तय करने के लिए रिव्यू बोर्ड डिस्ट्रिक्ट आफिसर की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी।